



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607



क्रमांक 13104 / अका. / सम्बद्धता / 2014

रायपुर, दिनांक 13 / 01 / 2014

॥ संशोधित आदेश ॥

विश्वविद्यालय आदेश क्र. 13032 / अका. / सम्बद्धता / 2014 रायपुर, दिनांक 04.01.2014 के द्वारा कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 17.12.2013 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्यामबालाजी कालेज, प्लॉट नं.- 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट-महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को जारी आदेश में सत्र 2014-15 करते हुए, आंशिक संशोधन कर निम्न दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है।

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Ed.	100	2014-15

शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
- आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख रूपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
- एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश **Recognition Order No. WRC /APP1884 /186th /B.Ed. /2013 /106359 dated 01.08.2013** में उल्लेखित शर्तों का पालन करेंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28 फरवरी 2014 तक पूर्ण करें।
- ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

उक्त शर्तें पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ली जाएगी।

आदेशानुसार,

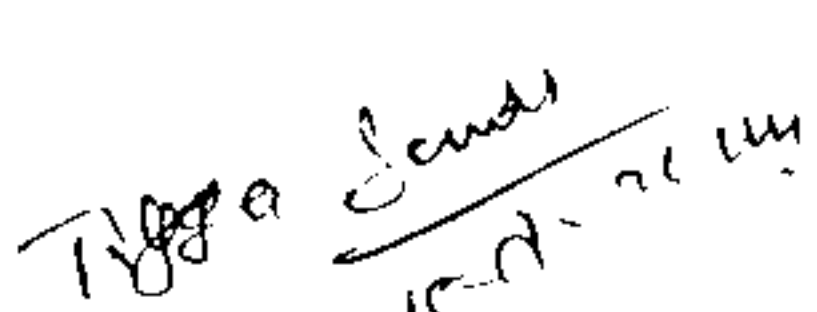

उप कुलसचिव (अका.)

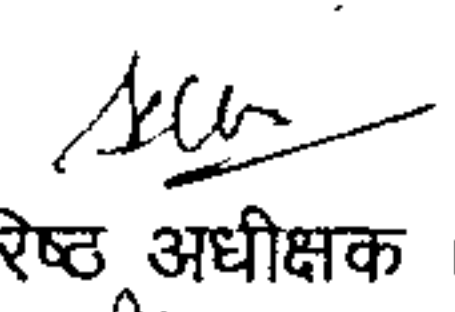
पृ. क्रमांक 13105 / अका. / सम्बद्धता / 2014

रायपुर, दिनांक : 13 / 01 / 2014

प्रतिलिपि :-

- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.) को मान्यता आदेश Recognition Order No. WRC /APP1884 /186th /B.Ed. /2013 /106359 dated 01.08.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, श्यामबालाजी कालेज, प्लॉट नं.- 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट-महासमुंद, जिला-महासमुंद
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.),
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- ✓ अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


15-1-2014


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)